राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.वि./म.क./सान्याअवि/25–26/ई फाईल नम्बर 01844 जयपुर दिनांक :–यथा ई हस्ताक्षरित

आदेश

मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना संचालन नियम 2015 क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 एवं आदेश क्रमांक 26019 दिनांक 29.04.2020 के बिन्दु 05 (प्रक्रिया) में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान किया जाता है :–

नियम	उपनियम	संशोधित/नवीन प्रावधान
5	19	समस्त प्रकरणों में आवेदनकर्ता विधवा महिला के आवेदन में उसकी पुत्री (जिसके विवाह के लिए अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) की जाति जनाधार पोर्टल में उपलब्ध सूचना के आधार पर (पुत्री के जनाधार नम्बर के माध्यम से प्राप्त कर) आवेदन का परीक्षण किया जाएगा। परन्तु आवेदक विधवा महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से जारी हुआ होना आवश्यक है। पात्रता की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.वि./म.क./सान्याअवि/25–26/ई फाईल नम्बर 01844 जयपुर दिनांक :–यथा ई हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सान्याअवि राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि राज. जयपुर।

6. महालेखाकार लेखा एवं हक राज0 जयपुर।
7. निदेशक वित्त (बजट) मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर.....समस्त।
9. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि पोर्टल में उपरोक्तानुसार तकनीकी प्रावधान करवाना सुनिश्चित करे।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....समस्त।
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....समस्त।
13. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :06-03-2026 03:09:09

RajKaj Ref No.: 20603575

eSign DSC